प्रत्येक वैध संविदा के निर्माण के लिये पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति आवश्यक है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय मानी जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव से अपनी सहमति प्रकट कर करार करते हैं।

स्वतन्त्र सहमति के लिये यह आवश्यक है कि संविदा निम्नलिखित तथ्यों से प्रेरित न हो :

1. प्रपीड़न (धारा 15) अथवा
2. अनुचित प्रभाव (धारा 16) अथवा

3. कपट (धारा 17) अथवा
4. दुर्व्यपदेशन (धारा 18) अथवा
5. भूल (धारा 20, 21 एवं 22)

प्रपीड़न :

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 के अनुसार प्रपीड़न ऐसे किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना जो कि भारतीय दण्ड सहिता के अनुसार वर्जित है या किसी सम्पत्ति का विधि विरुद्ध विरोध अथवा निरोध करने की धमकी देना जिसका आशय किसी भी व्यक्ति के करार करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से है।

इसी धारा में वर्णित व्याख्या के अनुसार यह सराहनीय है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वहां भारतीय दण्ड संहिता लागू है अथवा नहीं।

उक्त परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्रपीड़न के समतुल्य माने जावेंगे।

1. भारतीय दण्ड संहिता में वर्जित किसी भी कार्य को करना जो कि अपराध के कारण दण्डनीय हो।

दृष्टान्त : अ, ब के विरुद्ध आपराधिक अतिचार (Criminal Trespass) का मिथ्या आरोप लगाता है और उसे इस बात के लिये प्रपीड़ित करता है कि वह अपने घर का आधा भाग परिवाद को देने का करार करे। ऐसे करार को लागू नहीं किया जा सकता।

2. किसी भी कार्य को करने की धमकी देना जो कि भारतीय दण्ड संहिता के विरुद्ध है :

दृष्टान्त : अ, ब को धमकी देता है कि यदि ब अपनी जायदाद के लिये अ को प्रबन्धक नियुक्त नहीं करेगा तो उसका चाकू से वेधन कर देगा। यहाँ यह आवश्यक नहीं कि धमकी सम्बन्धित करार के पक्षकार को ही दी जाय, इस प्रकार की धमकी किसी भी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के विरुद्ध भी दी जा सकती है।

3. किसी भी सम्पत्ति को विधि विरुद्ध रोकना :

दृष्टान्त : एक अभिकर्त्ता अपने मालिक को लेखा बहियां लौटाने से इस बात पर इन्कार कर देता है कि जब तक मालिक हिसाब का निपटारा न करदे। ऐसा कार्य प्रपीड़न माना जावेगा।[1]

---

4. किसी भी सम्पत्ति को विधि विरुद्ध रोकने की धमकी देना :

दृष्टान्त : एक तेरह वर्ष की युवा विधवा को उसके पति के मरने पर पति के ही सम्बन्धी एक लड़के को गोद लेने के लिये बाध्य करते हैं एवं उसे इस बात की धमकी देते हैं कि ऐसा न करने तक उसके पति का दाह संस्कार नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की धमकी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 297 के अनुसार वर्जित है एवं इसे प्रपीड़न माना जावेगा।

5. प्रपीड़न किसी भी व्यक्ति द्वारा अग्रसित किया जा सकता है यहां तक कि उस व्यक्ति के लिये संविदा के पक्षकार का होना भी आवश्यक नहीं है।

दृटान्त : अ एवं ब एक संविदा के लिये वार्ता करते हैं जिसके लिए अ राजी नहीं है। एक अन्य व्यक्ति अ को पीटने की धमकी देता है जिसकी कि जानकारी ब को नहीं है। अ डर के मारे ब से संविदा करता है। इस प्रकार का संविदा प्रपीड़न से उत्प्रेरित माना जावेगा।

6. प्रपीड़न का प्रयोग किसी भी स्थान पर किया जा सकता है चाहे वहां भारतीय दण्ड संहिता लागू होती है अथवा नहीं।

दृष्टान्त : एक महासमुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर, ऐसे कार्य द्वारा जो कि भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आपराधिक अभित्रास (Criminal Intimidation) है, ख से एक करार करता है तत्पश्चात् क संविदा भंग के लिये कलकत्ते में ख पर वाद चलाता है। क ने प्रपीड़न का प्रयोग किया है। यद्यपि उसका कार्य इंग्लैंड की विधि द्वारा अपराध नहीं है और यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 उस समय और उस स्थान पर जहां वह कार्य किया गया था, लागू नहीं थी।

अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रपीड़न से तात्पर्य विधि विरुद्ध कार्य या धमकी देने से है। इस विषय पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित अमिराजू बनाम शेषम्मा का प्रमुख वाद है।

आत्महत्या की धमकी देकर एक हिन्दू व्यक्ति ने अपनी पत्नी और लड़के के कुछ कागजों पर दस्तखत करवा लिए, जिसके द्वारा उसके भाई के प्रति कुछ ऐसी सम्पत्ति छोड़ दी जो उनकी थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आत्महत्या की धमकी धारा 15 के अनुसार प्रपीड़न था और इसलिए छूट-पत्र शून्यकरणीय था। धारा 15 के अन्तर्गत प्रपीड़न की परिभाषा आंग्ल विधि में प्रयुक्त समान शब्द 'दबाव' से विस्तृत है। इन दोनों में निम्न अन्तर है :

प्रपीड़न तथा दबाव में अन्तर :

(i) प्रपीड़न के अधीन धमकी किसी व्यक्ति के शरीर तथा सम्पत्ति दोनों के खिलाफ हो सकती है जबकि दबाव का प्रयोग केवल व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध ही किया जा सकता है ।

(ii) प्रपीड़न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या उसके विरुद्ध हो सकती है लेकिन इंग्लैंड में संविदा करने वाले पक्षकार उसकी पत्नी या बच्चों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति दबाव के अधीन नहीं हो सकता और दबाव संविदा के पक्षकार या उसके अभिकर्त्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अग्रसर नहीं हो सकता ।

(iii) प्रपीड़न में दूसरे पक्षकार की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये शारीरिक हिंसा अथवा कारावास होना आवश्यक नहीं है जबकि दबाव में शारीरिक हिंसा अथवा कारावास का होना नितान्त आवश्यक है ।

प्रपीड़न का प्रभाव :

किसी भी संविदा में यदि प्रपीड़न का प्रयोग किसी भी पक्षकार के विरुद्ध हुआ है तो ऐसा संविदा शून्यकरणीय होगा ।[2] साथ ही यदि किसी व्यक्ति को धन अथवा किसी वस्तु का संदाय किया गया है तो उसे प्रतिसंदाय करना पड़ेगा ।

अनुचित प्रभाव :

अनुचित प्रभाव की परिभाषा धारा 16 के अनुसार निम्न हैं :

(1) जहाँ पक्षकारों के बीच विद्यमान सम्बन्ध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये करता है, ऐसी संविदा अनुचित प्रभाव द्वारा उत्प्रेरित मानी जावेगी ।

(2) विशेषतया तथा पूर्ववर्ती सिद्धान्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी व्यक्ति के बारे में समझा जाता है कि वह निम्न परिस्थितियों में दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है :

(i) जहां पर कि वह उस दूसरे पर वास्तविक या प्रत्यक्ष अधिकार रखता है या जहां कि वह दूसरे के साथ वैश्वासिक सम्बन्ध की स्थिति में है अथवा;

(ii) जहां कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक शक्ति, आयु, बीमारी या मानसिक या शारीरिक पीड़ा के कारण अस्थायी या स्थायी रूप मे प्रभावित हो गई है; अथवा

(iii) जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है तथा वह एक संविदा करता है, जो कि स्पष्ट रूप से उचित नहीं है एवं लोकात्मा के विरुद्ध है, ऐसे संविदा को सिद्ध करने का दायित्व कि संविदा असम्यक असर से प्रेरित नही है, उस व्यक्ति का होगा, जो कि दूसरे व्यक्ति की इच्छा अधिशासित करने की स्थिति में हो।

इस उपधारा में वर्णित कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

दृष्टान्त : क ने अपने पुत्र ख को उसकी आवश्यकता के दौरान अग्रिम धन दिया था: ख के वयस्क होने पर क अपने पैतृक प्रभाव के दुरुपयोग द्वारा ख से उस अग्रिम धन के साक्ष्य में शोध्य राशि से अधिक के लिये एक क्रय-पत्र प्राप्त कर लेता है। क अनुचित प्रभाव का प्रयोग करता है।

(2) क एक अत्यन्त दुर्बल रोगी अपने डाक्टर ख के प्रभाव से प्रभावित होकर उसको व्यावसायिक सेवाओं के लिये अनुचित राशि देने के लिये सहमत हो जाता है, ख अनुचित प्रभाव का प्रयोग करता है।

सम्भावित अनुचिव प्रभाव का प्रयोग गुरू-चेला, संरक्षक-प्रतिपाल्य, न्यासी-हिताधिकारी, सालिसिटर-मुवक्किल, प्रौढ़ अनपढ़ व्यक्ति के साथ हुए संविदे एवं पर्दानशीन स्त्री के साथ हुए संविदे में भी किया जा सकता है। इन सभी उदाहरणों में अनुचित प्रभाव का उपयोग नैतिक दबाव एवं पक्षकारों में पारस्पिरिक विश्वासाश्रित सम्बन्धों का उपयोग आवश्यक है जिसके द्वारा उनमें से एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को दबा या अधिशासित कर सकता है। जो व्यक्ति उच्चतर स्थिति में है, वह स्वयं से नीचे वाले को अपने प्रभुत्व के कारण दबाकर करार के लिये राजी कर सकता है।

इस विषय पर निम्नलिखित वाद महत्वपूर्ण हैं :

मन्तुसिह बनाम उमादत पाण्डे :[3] एक आध्यात्मिक गुरू ने अपने एक भक्त को फुसलाकर उसकी सारी सम्पत्ति दान ले ली ताकि उससे उसकी आत्मा को परलोक में शान्ति मिले । इलाहबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि यहां अनुचित प्रभाव का उपयोग हुआ है । अनुचित प्रभाव चतुराई वाले कपट की श्रेणी में आता है जिससे पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क पर छल या फुसलाने वाले ढ़ंगों से कब्जा पा लिया जाता है । स्वतन्त्र सहमति पर इस प्रकार के करार रुकावट डालते हैं और व्यक्ति इस प्रकार के सम्बन्ध से दूसरे के आगे झुक जाता है ।

विलियम्स बनाम बेलेक्स[4] : एक लड़का कई पुरनोटों पर अपने पिता के जाली दस्तखत बनाकर उन्हें अपने खाते में जमा करता रहा । जब यह बात खुल गई तो बैंक के मैनेजर ने लड़के पर अभियोग चलाने की धमकी दी, जिसके कारण उसे देश निकाले का दण्ड मिल सकता था । इस परिणाम से बचने के लिये उसके पिता ने बैंक को अपनी सम्पत्ति बन्धक कर दी और प्रानोट वापस ले लिये । बाद में पिता ने बन्धक के संविदे को रद्द करवाना चाहा क्योंकि उसकी सहमति दबाव के कारण दी गई थी । हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णित किया कि संविदा शून्यकरणीय था पिता अभियोजन के परिणामों से डरता था और अपने लड़के को उससे बचाना चाहता था और संविदा इसी का परिणाम था ।

लोकात्मा अन्त.करण विरुद्ध संव्यवहार :

जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर प्रभुत्व जमाने की स्थिति में है तथा बिना कपट किये, अपनी स्थितिका दबाव डालकर दूसरे व्यक्ति के साथ कोई संव्हार करता है तो इस प्रकार के संव्यवहार अन्त:करण विरुद्ध होंगे । रकम उधार लेने-देने के सौदों में यदि ब्याज की दर अत्यधिक ऊँची हो, जिसे अनुचित कहा जा सके, ऋणदाता ऋणी की इच्छा पर प्रभुत्व जमाने की स्थिति में हो तो न्यायालय इस प्रकार के संव्यवहार को अनुचित मानेगा । इसी प्रकार अनुचित प्रभाव की उपधारणा उस वाद में भी की गई जहां पर एक हिन्दू विधवा जिसके भरण-पोषण का कोई साधन नहीं था और जिसने

एक मुकद्दमें द्वारा भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त करने के लिये 100 प्रतिशत ब्याज पर रु. 1000=00 कर्ज लिये थे ।[5]

अनुचित असर का प्रभाव ;

यदि किसी कष्ट के लिये सहमति अनुचित प्रभाव द्वारा ली गई है तो जिस व्यक्ति को सहमति अनुचित प्रभाव द्वारा ली गई संविदा उसकी इच्छा पर शून्यकरणीय है ।

इस प्रकार के संविदे को पूर्णरूप से अपास्त किया जा सकता है यदि किसी पक्षकार ने अनुचित प्रभाव का उपयोग कर कोई लाभ अर्जित किया है तो न्यायालय जैसा भी न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण समझे उन निबन्धनों एवं शर्तों के आधार पर प्रत्यावर्तित करने के लिये बाध्य कर सकता है ।

प्रपीड़न एवं अनुचित प्रभाव में अन्तर :

प्रपीड़न एवं अनुचित प्रभाव दोनों ही स्वतंत्र सहमति पर अवरोध पैदा करते हैं जिससे कि संविदा एक पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरणीय हो सकता है । फिर भी दोनों में निम्न अन्तर है :

(i) **सम्बन्ध :** प्रपीड़न के लिए दोनों पक्षकारों में सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं जबकि अनुचित प्रभाव में पक्षकारों के मध्य सामान्तया विश्वासाश्रित सम्बन्ध होना आवश्यक है ।

(ii) **धमकी :** प्रपीड़न में व्यथित, पक्षकार को सहमति, अपराध करने की धमकी, अर्थात् इस प्रकार का कार्य करने अथवा करने की धमकी देकर प्राप्त करना है जो भारतीय दण्ड संहिता द्वारा निषिद्ध है अथवा अवैधानिक रूप से किसी भी सम्पत्ति को रोक कर या रोकने की धमकी देकर सहमति प्राप्त की जाती है जबकि अनुचित प्रभाव में व्यथित पक्षकार की सहमति अधिशाषित पक्षकार द्वारा उसकी स्थिति का अऋजु फायदा उठाकर प्राप्त की जाती है ।

(iii) **बल के प्रकार :** प्रपीड़न में व्यक्ति अथवा दूसरे की सम्पत्ति पर शारीरिक अथवा हिंसात्मक बल का प्रयोग किया जाता है जबकि अनुचित प्रभाव एक प्रकार की

मानसिक पीड़ा है जो व्यक्ति के स्वतन्त्र रूप से सोचने की शक्ति को नष्ट करती है जिससे कथित पक्षकार अपनी इच्छा के विरुद्ध संविदा करने पर मजबूर होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुचित प्रभाव उन सभी परिस्थितियों पर लागू होता है जहां कि व्यक्ति पक्षकार पूर्णरूपेण विश्वास व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उस स्थिति का अऋजु फायदा उठाता है।

(iv) **प्रभाव का उपयोग** : वचनदाता के द्वारा वचनग्रहीता के विरुद्ध प्रपीड़न का उपयोग आवश्यक नहीं है। वचनदाता या अन्य पक्षकार के द्वारा प्रपीड़न का उपयोग वचनग्रहीता या अन्य पक्षकार के विरुद्ध किया जा सकता है। परन्तु अनुचित प्रभाव का उपयोग सदैव वचनदाता द्वारा वचनग्रहीता पर ही किया जाता है।

कपट

कपट की परिभाषा धारा 17 के अनुसार निम्न है :

जब संविदा के एक पक्षकार द्वारा उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा, संविदा के किसी अन्य पक्षकार को या उसके अभिकर्ता को प्रवंचना करने के आशय से निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य किया गया हो या संविदा करने के आशय से उत्प्रेरित किया गया हो, उसे कपट कहते हैं। कपट में निम्न तथ्य समाविष्ट किये जाते हैं :

(i) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्य को सुझाया जाना जो सत्य नहीं है और न वह उनकी सत्यता में विश्वास करता है;

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा तथ्यों को सक्रीय रूप से छिपाया जाना जिसकी कि उसे जानकारी है या विश्वास है;

(iii) पालन न करने के आशय से दिया गया कोई वचन;

(iv) ऐसा अन्य कार्य जो प्रवंचना के उपयुक्त हो;

(v) कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेष रूप से घोषित करे।

मौन रहने के विषय में यह उल्लेखनीय है कि संविदा करने के लिये किसी व्यक्ति की रजामन्दी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उनके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है।

परन्तु जहां परिस्थितियां ऐसी हैं कि बोलना, मौन रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है या उसका मौन रहना बोलने के तुल्य है तो कपट माना जावेगा।

दृष्टान्त : (i) क नीलामी द्वारा ख को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में ख जानता है कि वह ऐबदार है। क घोड़े के ऐब के बारे में ख को कुछ नहीं कहता। यह क की ओर से कपट नहीं है।

(ii) क की पुत्री ख है और वयस्क हुई है। यहां पक्षकारों के बीच सम्बन्ध के कारण क का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि यदि घोड़ा ऐबदार है तो ख को इसकी जानकारी दे।

(iii) ख, क से कहता है कि यदि तुम इस बात से इन्कार नहीं करते तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा स्वस्थ है। क कुछ नहीं कहता है। यहां क का मौन रहना बोलने के तुल्य है।

(iv) क और ख जो व्यापारी है, संविदा करते हैं। क को कीमतों के ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है, जिससे संविदा करने के लिए अग्रसर होने की ख की रजामंदी पर प्रभाव पड़ेगा। ख को यह जानकारी देने के लिए क आबद्ध नहीं है।

फिर भी कुछ संविदों में पक्षकारों का यह कर्त्तव्य है कि वे सारवान तथ्यों को पूर्णरूप से प्रकट करें। ऐसी स्थिति में मौन रहना या दुर्व्यपदेशन की अनुपस्थिति पर्याप्त नहीं है। इसी कारण बीमा संविदा को पूर्ण संविदा कहा जाता है। उक्त परिभाषा के विश्लेषण करने पर कपट में निम्नलिखित तत्त्व दृष्टिगत होते हैं।

(i) **असत्य व्यपदेशन :** बिना व्यपदेशन के कपट नहीं हो सकता, सिवाय उन मामलों के जहां मौन रहना स्वतः ही कपट माना जाता है या जहां पर कि तथ्यों को सक्रीय रूप से छिपाया जाता है। यदि व्यपदेशन करने वाले व्यक्ति के कथन में सत्यता है या उनकी सत्यता में विश्वास करता है तो यह कपट नहीं माना जा सकता। कपट नियत करने के लिये यह आवश्यक है कि व्यपदेशन उसी आशय से किया गया हो।

(ii) **सारवान तथ्यों का सक्रीय रूप से या साशय छिपाया जाना :** तथ्यों का अप्रकटन मात्र ही कपट नहीं है जब तक कि तथ्यों को प्रकट करना कर्तव्य न हो लेकिन सारवान तथ्यों को सक्रीय रूप से छिपाया जाना कपट माना जावेगा।

आर. बनाम किलसैण्ट : इस मामले में एक कम्पनी के प्रविवरण पत्र में यह विवरण प्रकाशित किया गया कि कम्पनी ने 1921 से 1927 तक प्रतिवर्ष अपने अंशधारियों को लाभांश दिया है। जबकि तथ्य यह था कि इन्हीं वर्षों में कम्पनी को भारी हानियां हुई एवं लाभांश का भुगतान आरक्षित निधि में से दिया गया। इन हानियों को प्रविवरण पत्र में प्रकट नहीं किया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रविवरण पत्र का प्रकाशन कपटपूर्ण था क्योंकि उसमें सारवान तथ्यों की सत्यता को छुपाया गया था जो कि कम्पनी की स्थिति को प्रकट करते थे। किलसैण्ट, जो कम्पनी का निदेशक था, को ऐसे प्रविवरण पर हस्ताक्षर करने के कारण कपट का दोषी माना गया।

(iii) **व्यपदेशन तथ्य से सम्बन्धित होना चाहिये** : ऐसी अभिव्यक्ति जो मात्र राय या अनुभूति अथवा अति प्रशंसा आदि के रूप में होते कपट को सिद्ध नहीं कर सकते।
दृष्टान्त : अ, ब से कहता है कि मेरे घोड़े ही अच्छे हैं जैसे कि 'स' के। इस प्रकार का कथन मात्र राय है न कि तथ्य।

(iv) **व्यपदेशन प्रवंचना करने के उद्देश्य से होने चाहिये** : तथ्यों के सम्बन्ध में असत्यता की जानकारी या उसकी सत्यता में विश्वास नहीं होते हुए भी अथवा बिना सोचे विचारे किया गया व्यपदेशन प्रवंचना करने के उद्देश्य से किया गया।

किसी भी पक्षकार के साथ व्यपदेशन संविदा समाप्ति के पूर्व ही किया जाना चाहिए। संविदा समाप्ति के पश्चात किया गया व्यपदेशन निरर्थक है। इसके अतिरिक्त व्यपदेशन का उद्देश्य प्रवंचित पक्षकार को किये गये व्यपदेशन के आधार पर, कार्य करने को प्रेरित करना है। प्रवंचित पक्षकार द्वारा अपने कौशल एवं निर्णय के आधार पर कार्य नहीं किया जाना चाहिये।

स्मिथ बनाम चाडविक : एक कम्पनी ने अपने प्रविवरण पत्र में यह तथ्य प्रकाशित किया। कि ब इस कम्पनी का निदेशक है। इस विश्वास पर अ ने कम्पनी के अंश खरीदे। इससे पूर्व अ ने यह कभी नहीं सुना कि ब उसका निदेशक है। अतः अ के लिए इस प्रकार के विवरण का प्रकाशन तत्वहीन है। न्यायालय के निर्णय दिया कि इस प्रकार के असत्य विवरण के आधार पर अ को कम्पनी के अंश खरीदने के लिए प्रेरित नहीं किया गया अतः अ नुकसानी का दावा नहीं कर सकता।

(v) **दूसरा पक्षकार प्रवंचित होना चाहिये :** यदि कपट प्रवंचना के उद्देश्य से नहीं किया गया है तो कपट नहीं है। इसी प्रकार से यदि व्यपदेशन की जानकारी दूसरे पक्षकार को नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे पक्षकार को भुलावा दिया गया है।

होर्सफाल बनाम थोमस : अ ने ब से एक पिस्तौल खरीदी। पिस्तौल में एक छेद था जिसे ब ने डट्टा लगाकर बन्द कर दिया। अ को पिस्तौल का परीक्षण करने का अवसर प्राप्त था परन्तु उसने परीक्षण नहीं किया जब उसने पिस्तौल का उपयोग किया तो पिस्तौल के टुकड़े-टुकड़े हो गये। ब द्वारा मूल्य मांगने पर अ ने संदाय करने के लिये मना कर दिया। परन्तु न्यायालय ने निर्णय दिया कि अ मूल्य संदाय करने के लिए आबद्ध था क्योंकि अ को पिस्तौल खरीदना चाहे उसमें प्रवंचक डट्टा बिठाया गया हो। इसलिये वह कपट से प्रवंचित नहीं हुआ।

(vi) **दूसरे पक्षकार को किये गये व्यपदेशन द्वारा हानि होनी चाहिये :** कामन ला के एक नियम के अनुसार "बिना नुकसान के कपट नहीं हो सकता एवं बिना हानि के कोई नुकसान नहीं हो सकता।" नुकसान धन के धन के समान कीमत का अथवा कुछ मूर्त अहित जिसका निर्धारण किया जा सकता है, हो सकता है। इसी आधार पर कार्य किया हो और उसे नुकसान नहीं हुआ हो।

क्या मौन रहना कपट है ?

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 की व्याख्या यह उल्लेख करती है कि केवल मौन रहना कपट नहीं है। यदि बिक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय उसमें जो कमियाँ हैं, उनके विषय में चुप रहता है तो यह कपट नहीं होगा, भले ही क्रेता को उसके चुप रहने के परिणामस्वरूप प्रवंचना हो जाये। 'क्रेता सावधान' सिद्धांत के अनुसार क्रेता का यह कर्त्तव्य है कि वह माल की पूर्णरूपेण परख करने के पश्चात ही खरीदे। इसके लिए क्रेता की ही जिम्मेदारी है।

जहां चुप रहना कपट होता है वहां बोलना एक व्यक्ति का कर्त्तव्य हो जाता है परन्तु जहां बोलना कर्त्तव्य नहीं है। वहां कपट नहीं है। निम्न परिस्थितियों में मौन भी कपटपूर्ण होता है :

(1) **बोलने का कर्त्तव्य :** यदि एक व्यक्ति दूसरे पर बिश्वास करता है या बिश्वास करने का अधिकार रखता है तो संविदा करने वाले पक्षकार का यह कर्त्तव्य है कि वह

दूसरे पक्षकार को सत्यता की जानकारी बोल कर दे । उदाहरणार्थ, यदि एक पिता अपने पुत्र को घोड़ा बेचता है तो उसका यह कर्त्तव्य है कि वह अपने पुत्र को घोड़े के दोष के बारे में बता दे क्योंकि पुत्र अपने पिता के कथन पर विश्वास करता है। यह सिद्धांत न केवल तथाकथित उदाहरण तक ही सीमित है बल्कि ऐसा कर्त्तव्य उन सभी परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाता है जिनमें एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास करता है। यदि किसी संविदा के तथ्यों के विषय में सच्चाई जानने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है तो ऐसी स्थिति में बोलना कर्त्तव्य हो जाता है। उदाहरणार्थ एक बीमा कम्पनी को बीमा करवाने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जो बातें वह स्वयं बता देता हैं उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए बीमा प्रस्तावक का यह कर्तव्य है कि जिस जोखिम का वह बीमा कर रहा है उस पर प्रभावी सभी महत्वपूर्ण तथ्य बता दिये जायें।

(2) **जब मौन कपटपूर्ण हो** : कभी-कभी मौन रहना कपटपूर्ण माना जाता है। मौन रहने वाला व्यक्ति यह जानता है कि उसके मौन रहने कारण दूसरे पर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा तो यह कपट नहीं है।

दृष्टान्त : अ ब से घोड़ा खरीदते समय यह पूछता है कि घोड़े में कोई दोष तो नहीं है, यदि ब मौन रहता हैं और घोड़ा दोषपूर्ण है तो यह मौन कपटपूर्ण माना जावेगा।

(3) **तथ्यों में परिवर्तन** : यदि संविदा के विषय वस्तु के बारे में कुछ बातें एक पक्षकार ने दूसरे को बताई थीं और संविदा होने के पूर्ण तथ्यों में इस प्रकार का परिवर्तन किया गया कि मूल तथ्य सही-सही नहीं रहे और न ही ऐसे परिवर्तित तथ्यों की जानकारी दूसरे पक्षकार को दी गई। ऐसे परिवर्ततों के बारे में मौन रहना कपट माना जावेगा।

राजगोपाल अय्यर बनाम दी साउथ इण्डिया रबर वर्क्स :

एक कम्पनी के प्रविबरण में प्रकाशित किया गया कि जिन व्यक्तियों के नाम प्रविवरण-पत्र में दिये गये हैं, वे कम्पनी के निदेशक होंगे। उस समय यह सत्य था परन्तु अंशों के आवंटन के

पूर्व उनमें से कुछ ने निदेशक बनने से इन्कार कर दिया। यह तथ्य प्रस्तावक को नहीं बतलाया गया ग्रौर इसलिये ग्रावंटन इस कपट के कारण शून्यकरणीय घोषित हुग्रा।

(4) **ग्रर्धसत्य** : यदि किसी व्यक्ति के लिए सत्य बोलना कर्त्तव्य न भी हो, फिर भी यदि वह स्वेच्छा से कुछ बातें बताता है ग्रौर कुछ छिपा लेता है तो यहां भी कपट माना जावेगा क्योंकि ग्रर्धसत्य निरे झूठ से किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है। मौन द्वारा कपट में यदि वादी को साधारण तत्परता से सत्य जानने का साधन प्राप्त है तो वह नहीं होगा।

श्रीकृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र : एक विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की ग्रनुमति विश्वविद्यालय ने इस शर्त पर दी कि उसको ग्रपने कार्यालय से, जहां पर कि वह नौकरी करता था, पढ़ने की ग्रनुमति लानी होगी ग्रन्यथा विश्वविद्यालय के निर्णय को उसे मानना पड़ेगा। 20 जून 1973 को व नौकरी में नहीं होने के कारण उसने विश्वविद्यालय को सूचित किया कि चूंकि ग्रब वह नौकरी में नहीं है ग्रतः उसे उक्त ग्राज्ञा लाने की ग्रावश्यकता नहीं है। उसने यह भी प्रार्थना की कि उसका एल. एल. बी. द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित किया जावे। विश्वविद्यालय ने उसको सूचित किया कि उसकी एल. एल. बी. प्रथम वर्ष में उपस्थिति नियमानुसार पूरी नहीं होने के कारण उसकी वह परीक्षा रद्द कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि वह सत्य है किन्तु विश्वविद्यालय के पास भी बुद्धि सम्मत साधन थे, जिससे यह मालूम किया जा सकता था कि विद्यार्थी की उपस्थिति नियमानुसार थी ग्रथवा नहीं। इस कारण यह विद्यार्थी की तरफ से कपट नहीं था। जब विश्वविद्यालय ने एक बार परीक्षा में बैंठने की ग्रनुमति प्रदान कर दी तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

कपट का प्रभाव :

कपटपूर्ण संविदे शून्य नहीं होते वरन् कपट से प्रभावित पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरणीय हो सकते हैं। कपट के मामले में व्यथित पक्षकार को निम्नलिखित उपचार प्राप्त है :

(1) वह संविदे का विखण्डन कर सकता लेकिन विखण्डन उचित समय के भीतर होना चाहिए। यदि दूसरे पक्षकारों ने ऐसे संविदे में कोई हित मूल्य देकर प्राप्त किया है तो उपचार प्राप्त नहीं होगा।

2. वह नुकसानी के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।
3. वह संविदे के निर्दिष्ट पालन हेतु आग्रह कर सकता है जिससे कि यदि सत्य व्यपदेशन किया जाता तो उसकी स्थिति वैसी ही रहती।

चूंकि संविदा शून्यकरणीय है अतः व्यथित पक्षकार यदि चाहे तो संविदे की पुष्टि कर दूसरे पक्षकार के विरुद्ध लागू कर सकता है। एक बार संविदे की पुष्टि करने के पश्चात उसका विखण्डन नहीं किया जा सकता।

दुर्व्यपदेशन (धारा 18)

संविदा के सारवान तत्वों का अयथार्त कथन दुर्व्यपदेशन कहलाता है। दुर्व्यपदेशन में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं :

1. एक व्यक्ति द्वारा ऐसी बात का निश्चयात्मक प्राख्यान जो उसकी जानकारी से समर्थित नहीं है यद्यपि वह उस बात के सत्य न होने का विश्वास करता है।
2. कोई ऐसा कर्त्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय से बिना उस व्यक्ति को, जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा भुलावा देकर पहुँचाये, जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
3. चाहे कितनी ही अनभिज्ञता क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से उस वस्तु के सार के बारे में, जो उस करार का विषय हो, कोई भूल कराना।

उक्त धारा 18 में निम्नलिखित प्रकार के दुर्व्यपदेशन सम्मिलित किये जा सकते हैं।

1. **तथ्यों का निश्चयात्मक प्राख्यान** : यदि कोई व्यक्ति किसी बात को निश्चयात्मक रूप से सही बताता है जबकि वह उसके बारे में कोई जानकारी नहीं सकता और चाहे उसकी सत्यता पर विश्वास करता हो तो यह एक प्रकार का दुर्व्यंसन है।

   दी ओस्येनिक स्टीम नेवीगेशन कं, बनाम सुन्दरदास धर्मसी : प्रतिवाद ने वादी से एक जहाज क़िराये पर लिया। वादी ने बताया कि ज़हाज 2800 टन रजिस्टर वाला

है । वास्तव में यह जहाज कभी उस बन्दरगाह पर नहीं आया और वादी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी यद्यपि वह अपनी बात पर विश्वास करता था । जहाज 3000 टन से ज्यादा निकल आया । न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी इस संविदा को शून्यकरण कर सकते थे । वादी ने तथ्यों के विषय में निश्चयात्मक रूप से प्राख्यान किया, जो सही नहीं था और उसकी जानकारी के बाहर था ।

दृष्टान्त : अ ब से कहता है कि उसकी एम्बेसेडर कार एक लीटर से 10 कि. मी. चलती है । ब उसके कथन पर विश्वास करता है । ब कार खरीद लेता है लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि कार केवल 5 कि. मी. ही चल सकती हैं । यह दुर्व्यपदेशन माना जायेगा ।

2. **कर्त्तव्य भंग :** कोई ऐसा कर्त्तव्य भंग जो चाहे कपटपूर्ण आशय से न किया गया हो फिर भी उससे कर्तव्य भंग करने वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई भुलावा देकर प्राप्त किया हो । इसका आशय ऐसे मामलों से है जो साम्या की अदालत में आन्वयिक कपट के मामले कहे जाते हैं । जिनमें कपट करने का कोई आशय नहीं होता फिर भी जो व्यक्ति ऐसे संव्यवहार से लाभ प्राप्त करता है, वह उसी प्रकार से उत्तरदायी होता है जैसे कि उसने कपट किया हो ।

ओरियन्टल बेंकिग कॉर्पोरेशन बनाम जान फ्लेजिग : वादी को एक विलेख की विषयवस्तु पढ़ने का समय नहीं था । उसने बिना पढ़े ही उस पर हस्ताक्षर कर दिये क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने उसे विश्वास दिलाया था कि उसमें पहले से तय की हुई साधारण बातें लिखी हैं । वस्तुतः विलेख में प्रतिवादी के पक्ष में एक दायित्व से निर्मुक्ति थी । वादी को इस विलेख के विखण्डन का अधिकार दिया गया ।

3. **संविदा के सारवस्तु के विषय में भूल करना :** चाहे कितनी अनभिज्ञता क्यों न हो दूसरे पक्षकार को संविदा के सारवस्तु विषय में भूल कराना दुर्व्यपदेशन है । प्रत्येक करार का कोई न कोई विषय-वस्तु होता है जिसके बारे में पक्षकार यह समझते हैं कि उसमें कुछ गुण या तत्व हैं । यदि एक पक्षकार अपनी अनभिज्ञता से विषय वस्तु की प्रकृति या गुण के बारे में कोई भूल करवाता है तो इसे दुर्व्यपदेशन कहते हैं ।

रत्नसिंह बनाम नामीकरण : एक हिन्दू पिता यह कथन करते हुये कि केवल वही सम्पत्ति का स्वामी है बिना किसी जरूरत के परिवार की सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए राजी हो गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सम्पत्ति के विषय में उसका हक विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 18 के अनुसार अपूर्ण हक है और यह संविदा अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत दुर्व्यपदेशन का दोषी है। इस सम्बन्ध में पूर्व लिखित आर. बनाम किल सेण्ट का वाद भी महत्वपूर्ण है।

4. **तथ्य सम्बन्धी दुर्व्यपदेशन** : दुर्व्यपदेशन संविदे के साखान तथ्यों सम्बन्धित होना चाहिए। यदि व्यापारी अपनी वस्तुओं के विक्रय हेतु वस्तु की झूठी प्रशंसा करता है तो ऐसे तथ्य दुर्व्यपदेशन नहीं होंगे। उदाहरणार्थ यदि अ ब से कहता है कि मेरा माल उतना ही अच्छा है जितना स का। यह कथन प्रशंसा से सम्बन्धित है और इसी के आधार पर संविदे का विखण्डन नहीं किया जा सकता।

5. **उत्प्रेरणा** : व्ययदेशन इस आशय से होना चाहिये जिससे कि दूसरा व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करेगा। परन्तु यदि एक पक्षकार के पास ऐसे साधन हैं जिससे कि मामूली प्रज्ञावाला व्यक्ति भी सत्य का पता लगा सकता है तो एक पक्षकार दुर्व्यपदेशन का प्रतिवाद नहीं कर सकता।

अ दुर्व्यपदेशन द्वारा ब को इस बात का विश्वास दिलाता है कि उसके कारखाने में 500 मन नील तैयार होती है। ब को अ के कारखाने में भी हिसाब की बहियों का निरीक्षण करने पर मालूम हुआ कि मात्र 400 मन नील ही तैयार की गई। इसके पश्चात् ब कारखाने को बेच देता है। इस प्रकार का संविदा दुर्व्यपदेशन के आधार पर शून्यकरणीय नहीं है।

दुर्व्यपदेशन का प्रभाव : संविदा दुर्व्यपदेशन से दूषित होने पर शून्यकरणीय हो जाता है। दुर्व्यपदेशन के अधीन दी गई सहमति स्वतन्त्र सहमति नहीं मानी जाती एवं सहमति देने वाला पक्षकार ऐसे संविदे का विखण्डन कर सकता है।

कपट तथा दुर्व्यपदेशन में अन्तर :

1. कपट में प्रवंचना करने का आशय मौजूद रहता है, पर दुर्व्यपदेशन में प्रवंचना का आशय नहीं रहता।
2. कपट में संविदा भंग की जा सकती है और प्रवंचना के कारण जो हानि हुई, उसकी

नुकसानी भी प्राप्त की जा सकती है, पर दुर्व्यपदेशन में केवल संविदा भंग की जा सकती है, नुकसानी प्राप्त नहीं की जा सकती ।

3. कपट में प्रतिवादी की ओर से यह प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है कि वादी के पास सत्यता जानने के साधन थे, पर दुर्व्यपदेशन में प्रतिवादी यह प्रतिवाद कर सकता है कि यदि वादी चाहता तो सत्यता का पता लग सकता था ।

4. कपट के मामले में सुझाव देने वाला व्यक्ति सुझाव की सत्यता पर विश्वास नहीं करता किन्तु दुर्व्यपदेशन करने वाला व्यक्ति उसे सत्य समझ कर करता है ।

भूल (Mistake) (धारा 20, 21, 22)

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 भूल के विषय में उल्लेख करती है जब किसी करार के दोनों पक्ष तथ्य की बात के विषय में कोई भूल कर देते हैं, तब वह करार शून्य हो जाता है भूल यदि संविदा के सारभूत तथ्य के विषय में है तभी उस करार में स्वतन्त्र सहमति का अभाव समझा जायेगा तथा इसके परिणामस्वरूप करार शून्य होगा, अन्यथा नहीं ।

भूल दो प्रकार की होती है–(1)तथ्य सम्बन्धी, तथा (2) विधि सम्बन्धी । विधि सम्बन्धी भूल तीन प्रकार की होती है –

1. **भारतीय विधि की भूल :** विधि का अज्ञानता से करार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता न ही विधि की अज्ञानता के लिये किसी को क्षमा किया जा सकता है । धारा 21 के अनुसार देश की विधि भी भूल के आधार पर शून्यकरणीय नहीं हो सकती क्योंकि सभी देशवासियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने देश में प्रवर्तित विधि की पालना करें । लेटिन भाषा में एक सूत्र के अनुसार विधि की अज्ञानता माफ नहीं होती है । (Ignorantra junis non excuset) इसलिये भारतीय विधि की भूल संविदे की वैधिकता को प्रभावित नहीं करते ।

   दृष्टान्त : अ एवं ब गलत विश्वास के आधार पर एक संविदा करते हैं कि एक विशेष ऋण भारतीय परिसीमा विधि से वर्जित है । संविदा शून्यकरणीय नहीं है ।

2. **विदेश की विधि की भूल :** धारा 21 के अनुसार विदेश की विधि का प्रभाव संविदे पर तथ्यों की भूल के समान ही है । यदि दोनों ही पक्ष विदेश की विधि की भूल करते हैं तो संविदा शून्य होता है ।

1. **निजी अधिकारों की भूल** : यदि किसी व्यक्ति को निजी अधिकारों की अज्ञानतावश भूल हो जाती है तो यह भूल तथ्यों की भूल के समतुल्य होगी । इस प्रकार की भूल के आधार पर संविदे का विखण्डन किया जा सकता है ।

कुपर बनाम फिब्बस : अ ब से कुछ मत्स्य सम्बन्धी अधिकार पट्टे पर लेता है जबकि अ स्वयं उसका स्वामी है परन्तु उसे इन तथ्यों की जानकारी नहीं है । ऐसी भूल के आधार पर संविदे का विखण्डन किया जा सकता है ।

2. **तथ्य सम्बन्धी भूल** : तथ्य सम्बन्धी भूल निम्न में से किसी भी प्रकार की हो सकती है--

(i) पारस्परिक भूल

(ii) एक पक्षीय भूल

(iii) द्विपक्षीय भूल

पारस्परिक भूल : यदि पक्षकारों में परस्पर तथ्यों के सम्बन्ध में भ्रान्ति है और समान बस्तु के लिये समान भाव से राजी नहीं होते । इस प्रकार से की गई तथ्य की भूल को पारस्परिक भूल भी कहते हैं । इसे असमान द्विपक्षीय भूल भी कहते हैं । जब पक्षकार आपस संविदे के आधारभूत तथ्यों के सम्बन्ध में भूल करते हैं तो ऐसी भूल पारस्परिक भूल है ।

दृष्टान्त : अ ब को अपना घोड़ा बेचता है ब समझता है कि वह काला घोड़ा खरीद रहा है अ समझता है कि वह सफेद घोड़ा बेच रहा है । दोनों ही पक्षकारों की भूल तथ्य सम्बन्धी होने के कारण पारस्परिक भूल है ।

द्विपक्षीय भूल : यदि दोनों पक्षकार संविदा के आवश्यक तथ्य के सम्बन्ध में भूल करते हैं तो ऐसी भूल द्विपक्षीय भूल कहलाती है ।

दृष्टान्त : अ ब से एक घोड़ा खरीदने का करार करता है जबकि घोड़ा मर चुका है और दोनों ही पक्षों को इस तथ्य की जानकारी नहीं है, ऐसी भूल द्विपक्षीय भूल कहलायेगी ।

धारा 20 में दी गई व्याख्या के अनुसार, जो चीज करार की विषय वस्तु हो उसके मूल्य के बारे गलत राय, तथ्य सम्बन्धी भूल नहीं समझी जायेगी ।

दृष्टान्त : अ ब से एक सामान खरीदता है और यह सोचता है कि उस सामान की कीमत 1000 रु. है जबकि उसका वास्तविक मूल्य 500 रु. है । ऐसे करार का विखण्डन ऐसी भूल के आधार पर नहीं किया जा सकता ।

द्विपक्षीय भूल दो प्रकार की हो सकती है--

1. संविदा पालन की सम्भावना के सम्बन्ध में भूल।
2. संविदे की विषय वस्तु की भूल।

1. **संविदा पालन की भूल** : यदि सविदे की अनुपालना हेतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों की विद्यमानता आवश्यक है एवं दोनों ही पक्षकारों को ऐसी परिस्थितियों की अविद्यमानता का ज्ञान नहीं है तो लेख संविदा शून्य होगा।

दृष्टान्त : अ ब का मकान इस आशय से किराये पर लेता है कि वह एडवर्ड सप्तम का जुलूस देखेगा। ऐसा जुलूस पहले ही स्थगित कर दिया गया जिनकी जानकारी पक्षकारों को नहीं थी। ऐसी स्थिति में विशेष परिस्थितियों की अविद्यमानता जिनके आधार पर संविदा किया गया, भूल माना जावेगा।

2. **विषय वस्तु की भूल** : यदि दोनों ही पक्षकार संविदे की विषय वस्तु के सम्बन्ध में भूल करते हैं तो ऐसा संविदा शून्य माना जावेगा। विषय वस्तु की भूल निम्न प्रकार की हो सकती है--

विषयवस्तु की विद्यमानता की भूल : यदि दोनों ही पक्षकार संविदे की विषय वस्तु की विद्यमानता की भूल करते हैं तो संविदा शून्य होगा।

कोर्टियर बनाम हेस्टाई : दो पक्षकारों के मध्य एक जहाज, जो कपास से लदा हुआ था और समुद्री मार्ग में था, उसको खरीदने का करार हुआ। लदे माल को पोत के मास्टर ने समुद्री मार्ग में ही वेच दिया जिसकी जानकारी दोनों ही पक्षकारों को नहीं थी। विषयवस्तु के अभाव में संविदा व्यर्थ माना गया।

2. **विषय वस्तु की पहचान करने में भूल** : संविदा के विषय वस्तु के पहचानने में हुई भूल, एक अनुबन्ध को शून्य कर देती है। इसका तात्पर्य है यदि एक पक्षकार एक वस्तु के बारे में करार करता है जबकि दूसरा व्यक्ति सोचता है कि वह किसी अन्य वस्तु के लिये करार कर रहा है।

दृष्टान्त : अ अपना मकान जो कि भुपालपुरा, उदयपुर में स्थित है, ब को बेचने का करार

करता है जबकि उसका एक ग्रौर मकान ग्रशोकनगर में भी है। ब समझता है कि वह ग्रशोकनगर वाला खरीद रहा है। ग्र एवं ब के मध्य कोई करार नहीं है ऐसा करार शून्य माना जावेगा।

3. **विषयवस्तु के हक के बारे में भूल :** यदि संविदे के पक्षकार यह विश्वास करते हैं कि विक्रेता ही विषय वस्तु का स्वामी है जबकि वास्तव में विक्रेता स्वामी नहीं है। ऐसे समय में संविदा शून्य होगा। इस सम्बन्ध में पूर्व लिखित कुपर बनाम फिब्बस का वाद महत्वपूर्ण हैं।

4. **विषय वस्तु की कीमत के बारे में भूल :** यदि किसी वस्तु की कीमत के बारे वास्तव में भूल हुई है तो ऐसे करार शून्य हैं।

   वेबस्टर बनाम सेसिल : ग्र ने ब के कुछ प्लोट 2000 पौंड में खरीदने का प्रस्ताव रखा। तत्पश्चात् ब ने ग्रपने प्लोट ग्र को 1200 पौंड में बेचने का प्रस्ताव रखा जबकि उसका वास्तविक ग्राशय 2100 पौंड से ही था परन्तु भूल से उसने 1200 पौंड पत्र में लिख दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ग्र इस करार की पालना के लिये बाध्य नहीं कर सकता, कारण कि ब ने भूल की है।

5. **विषय वस्तु की मात्रा के बारे में भूल :** यदि भूल विषय वस्तु की मात्रा के विषय में है तो संविदा शून्य होगा।

   हैंकल बनाम पेप : ग्र ने एक दुकान में 50 रायफलों का निरीक्षण किया। बाद में उसने तीन रायफल खरीदने का तार भेजा। तार विभाग ने भूल से तीन लिखने के यह तार भेजा कि 'रायफलें भेज दीजिये।' दुकानदार ने 50 रायफल भेज दी। ग्र के रायफलें लेने से मना करने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि तीसरे पक्षकार की भूल की वजह से एक ही बात पर एक ही ग्रर्थ में मतैक्य नहीं होने के कारण पक्षकारों के मध्य हुग्रा करार शून्य है।

विषय वस्तु की किस्म के सम्बन्ध में भूल : किसी वस्तु की किस्म के सम्बन्ध में हुई भूल के कारण से भी संविदा शून्य हो सकता है। ऐसे मामले साधारतया वस्तुग्रों के विक्रय के सम्बन्ध में उत्पन्न होते हैं।

3. **एक पक्षीय भूल :** कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक के किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी एक पक्षीय भूल एक पक्षकार की भूल होने के कारण संविदा शून्यकरणीय नहीं होगा।

अपवाद : 1. परन्तु यदि किसी करार में कपट अथवा दुर्व्यपदेशन विद्यमान है तो ऐसा करार शून्यकरणीय होने के कारण एक पक्षकार की इच्छा पर उस करार का विखण्डन किया जा सकता है ।

2. किसी संविदा का विखण्डन तब भी किया जा सकता है जबकि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार की पहचान के बारे में कोई भूल की गई हो, और ऐसी भूल का ज्ञान दूसरे पक्षकार को न हो ।

दृष्टान्त : क ने ख की दुकान से एक घड़ी खदीदी । बाद में क, ख की दुकान पर संविदा को इस आधार पर रद्द करने के लिये लौट कर आता है कि उसकी सहमति भूल के कारण दी गई थी अर्थात् क ने समझा कि ख की दुकान ग की दुकान थी, जहां से उसका घड़ी खरीदने का आशय था । न्यायालय क का करार रद्द करने की इजाजत नहीं देगा क्योंकि भूल एक पक्षीय थी और दूसरे पक्षकार को इसकी जानकारी नहीं थी ।

कन्डी बनाम लिण्डसे के वाद में इस अपवाद को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है ।

ब्लैंकर्नवादी की कुछ वस्तुएँ प्रदान करने हेतु एक आर्डर दिया किन्तु उस आर्डर पर हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं थे वादी ने समझा कि यह आर्डर ब्लैंकिरन कम्पनी से आया है । अतः वादी ने उस आर्डर के तहत कुछ माल भेज दिया । ब्लैंकार्न ने माल प्रतिवादी को दे दिया । न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी का ब्लैंकार्न से संविदा करने का कोई आशय नहीं था । किन्तु इसका आशय तो ब्लैंकिरन कम्पनी के साथ था अतः ब्लैंकार्न के साथ कोई संविदा नहीं हुआ था । यहां पर भी व्यक्ति के पहचान में भूल थी । अतः अनुबन्ध शून्य था ।

भूल के प्रभाव :

1. ऐसे करार में जो भूल से प्रभावित हों यदि एक व्यक्ति ने कोई हित प्राप्त किया तो इसका प्रत्यावर्तन करना पड़ेगा अथवा उसको प्रतिकार चुकाना पड़ेगा ।
2. यदि एक व्यक्ति को भूल से वस्तु दे दी गई या रकम का संदाय कर दिया गया तो इसे पुनः लौटाना होगा अथवा ली गई रकम का प्रतिसंदाय करना पड़ेगा ।
3, यदि संविदे की अनुपालना की जाती है तो ऐसे संविदे का विखण्डन किया जा सकता है ।